

	राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) में विभिन्न श्रेणियों को पूर्व में प्रदत्त आयु सीमा में शिथिलता के अतिरिक्त होगी।
19.	चरित्र (Character) :- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को :- (i) एक सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate), जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं (ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित ना हों एवं उसके सम्बन्धी ना हों।
20.	नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications for Appointment):- (1) कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। (2) कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। (3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था। स्पष्टीकरण:-इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है। (क) परन्तु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवानियम, 2017 (यथासंशोधित) के प्रयोज्य होने की तिथियों को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; (ख) परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, उक्त नियम 2002 एवं 2017 के प्रयोज्य होने की तिथि को बढ़ोतरी नहीं होती है; (ग) परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा; (घ) परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निर्योग्यता से ग्रस्त हो; (ङ.) परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। नोट:-अभ्यर्थी की राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चयन हेतु पात्रता के लिए दो से अधिक सन्तान होने के आधार पर निर्योग्यता की तिथि दिनांक 22.06.2024 तथा जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चयन हेतु उक्त तिथि दिनांक 01.06.2002 समझी जायेगी।
21.	परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):- (1) कार्यालय चपरासी/समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें

09.06.2024

	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है, जो कि क्रमशः 85 और 15 अंक होंगे। (2) सामान्य लिखित परीक्षा 2 घण्टे अवधि की होगी, जिसमें मैट्रिकुलेशन मानक (matriculation Standard) के वस्तुनिष्ठ प्रकार-बहुविकल्पीय प्रश्न निम्नलिखित विषयों के होंगे – (क) सामान्य हिन्दी (ख) सामान्य अंग्रेजी (ग) राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियाँ (3) लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक (प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक) होंगे जिनमें सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियाँ हेतु क्रमशः 50, 10 एवं 25 प्रश्न हो सकेंगे। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। (4) लिखित परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। (5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों (प्रवर्गवार) के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। स्पष्टीकरण:- साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व-सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। (6) साक्षात्कार, उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आंकलित करने के उद्देश्य से होगा। (7) साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने की दशा में, अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी। (8) चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व-सैनिकों को कुल अंक (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में न्यूनतम 40 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जाएगी। स्पष्टीकरण:-लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
22.	आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):- - कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। - आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। - ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। - एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा। - आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ ही अपलोड करें। इसके अतिरिक्त आवेदक को ऐसा फोटोयुक्त पहचान-पत्र (वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में से कोई भी एक) भी अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ, आवेदन-पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा

09.06.2025